न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-104RAAJodhpur2023-48RTA223 Mohanram ors Vs Kelidevi etc

01. मोहन राम पुत्र जगमालराम
02. भागीरथ राम पुत्र जगमालराम
03. सुख राम पुत्र जगमालराम
    सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण– खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, हाल जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. केलीदेवी पत्नी जसवंताराम
2. रीड़मलराम पुत्र जसवंताराम
3. मंगलाराम पुत्र जसवंताराम
4. धीमाराम पुत्र जसवंताराम
5. रामेश्वरलाल पुत्र जसवंताराम
   सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण– बज्जू, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
6. चैनाराम पुत्र धोकलाराम
7. भजनाराम पुत्र धोकलाराम
8. धूड़ाराम पुत्र धोकलाराम
9. मेहन राम पुत्र धोकलाराम
10. बाबूराम पुत्र धोकलाराम (फौत) के कायम मुकामः–
    10.1. भैराराम पुत्र स्व. बाबूराम
    10.2. महिपाल पुत्र स्व. बाबूराम
    10.3. सोमारी पत्नी स्व. बाबूराम
    सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण– गॉधीसागर, भींयासर, तहसील घंटियाली, जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी।
11. लिछमण राम पुत्र धोकलाराम
12. गुणपत राम उर्फ गणपत राम पुत्र धोकलाराम
13. चुतरा राम पुत्र धोकलाराम
    सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण– खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, हाल जिला फलोदी।
14. सोमारी पत्नी जोधाराम
15. रामरखराम पुत्र बरसिंगाराम
16. चेनाराम पुत्र बरसिंगाराम
17. कमला पत्नी बंशीलाल
18. ऐलची पत्नी गणपतराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

19. अनोपी पत्नी लक्ष्मणराम,
सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण– खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, हाल जिला फलोदी।
20. भेराराम पुत्र भीखाराम
21. मांगीलाल पुत्र भीखाराम
22. पंखी पुत्री भीखाराम
23. सुवटी पुत्री भीखाराम
सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण– खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, हाल जिला फलोदी।
24. ग्राम पंचायत खारा तहसील फलोदी जरिये सरपंच
25. रामलाल पुत्र जयराम
26. मोडाराम पुत्र जयराम
दोनो जातियान् विश्नोई, निवासीगण– खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, हाल जिला फलोदी।
27. तेजसिंह पुत्र कोजसिंह
28. भीखाकंवर पत्नी कोजसिंह
दोनो जातियान् राजपूत, निवासीगण– शिमला खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, हाल जिला फलोदी।
29. सापुड़ी पत्नी सहीराम
30. विशना पत्नी बुधाराम
31. सुवा पत्नी गणपतराम
32. रतनाराम पुत्र प्रहलादराम
33. बिरदाराम पुत्र हणुताराम
34. शिवप्रकाश पुत्र बिरदाराम
35. बाबुराम पुत्र चैनाराम
36. भाखरराम पुत्र फुसाराम
37. भंवरूराम पुत्र तेजाराम
38. हरीचन्द पुत्र लालाराम
39. मोहनराम पुत्र भागचंद फौत के कायम मुकामः–
    39.1. गिरधारीराम पुत्र मोहनराम
    39.2. सुखराम पुत्र मोहनराम,
    जातियान् विश्नोई, निवासीगण– खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, हाल जिला फलोदी।
40. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फलोदी।
41. यूको बैंक शाखा फलोदी।
42. तहसीलदार फलोदी।
43. दुगली पुत्री भींयाराम
44. पालू पत्नी बरसिंगा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

45. सोनाराम पुत्र प्रहलादराम
सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण– शिमला खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, हाल जिला फलोदी।
46. जगमाल पुत्र सुजा फौत के कायम मुकामः–(अपीलांटगण)
47. गोरधनराम पुत्र धोकलाराम जाति विश्नोई, निवासी– खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, हाल जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 दिसंबर 2022 संशोधित डिक्री दिनांक 05 जनवरी 2023 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 81/2017 केली देवी व अन्य बनाम चैनाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री बुधराम गोदाराम, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 5
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवता–रेस्पो. संख्या 20 से 23
श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 34,36,37,38,47
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 42

नि र्ण य

दिनांक : 05 दिसबंर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 81/2017 अनवान केली देवी व अन्य बनाम चैनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 दिसंबर 2022, संशोधित डिक्री दिनांक 05 जनवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 फरवरी 203 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 189 रकबा 435 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 199 रकबा 358 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 366 रकबा 508 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 460 रकबा 99 बीघा 16 बिस्वा ग्राम खारा एवं शिमला तहसील फलोदी के संबंध धारा 88, 188, 92–ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी को अपनी पुश्तैनी भूमि होना बताते हुए वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2022 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। तत्पश्चात दिनांक 05 जनवरी 2023 को संशोधित डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अपीलाण्टगण के परिवार के मध्य स्टाम्प पेपर के जरिये बंटवाड़ा किया गया, जिसके आदेश क्रमांक 2215 दिनांक 27.12.1975 है। उक्त आपसी रजामंदी मुजब बंटवाड़ा की पालना में नामांतरकरण संख्या 358, 359, 360 एवं 361 स्वीकृत किये गये है। जब तक उक्त बंटवाड़ा निरस्त नहीं होता है, तब तक अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। पूर्व खातेदार जसवंताराम द्वारा दिनांक 27.10.1975 को बंटवाड़ा कर वादग्रस्त आराजी का नामांतरकरण अपने भाई जगमालराम के पक्ष में स्वीकृत करवाकर उक्त भूमि के बदले में ग्राम बज्जू तहसील कोलायत में मुरबों की सिंचित जमीन अपने पास रखी। जसवंताराम द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त बंटवाड़े बाबत कोई एतराज नहीं किया गया। स्व. जसवंताराम की मृत्यु वर्ष 2008 में 90 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था में हुई, तब तक उन्होने कभी भी उक्त बंटवाड़े के म्यूटेशनों को चैलेंज नहीं किया। उक्त म्यूटेशन स्वीकृत किये जाने के 42 वर्ष पश्चात उनके वारिसान् द्वारा सन् 2017 में दावा किया गया है। अब रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है। उन्हें ग्राम बज्जू में पारिवारिक बंटवाड़े से भूमि दी जा चुकी है। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद पत्र के न तो अपीलांट्स को नोटिस भेजे तथा न ही उनकी विधिवत तामील करवायी। वकील रामकिशन विश्नोई द्वारा मनमर्जी से ही अण्डर टेकिंग दी थी। तत्पश्चात रामकिशन विश्नोई को कोरोना हो जाने के कारण न तो न्यायालय में उपस्थित हुए न ही अपीलांटगण को कोई सूचना दी गई, न ही किसी प्रकार की साक्ष्य दी गई, न ही अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री वाद विचारण की प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अपास्त योग्य है। दौरान वाद रेस्पोडेंट संख्या 10 बाबूराम पुत्र धोकलाराम का देहांत हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

चुका था। विचारण न्यायालय में कुछ पक्षकारान् के विरूद्ध वाद विड्रो भी किया जा चुका था, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उनके वारिसान् को रेकर्ड पर लिये बिना ही मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना उनके विरूद्ध एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है। तथाकथित अधिवक्ता रामकिशन विश्नोई द्वारा प्रार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.02.2023 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की पालना में म्यूटेशन स्वीकृत किये जाने की बात कहने पर हुई। तब दिनांक 13.02.2023 को अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल ली, जिसे पढने पर प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलांट्स ने जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 81/2017 अनवान केली देवी व अन्य बनाम चैनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 दिसंबर 2022, संशोधित डिक्री दिनांक 05 जनवरी 2023 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच व बीस से तेईस के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच की पुश्तैनी सम्पति है, जिसमें रेस्पोडेंट्स संख्या एक से पांच का 1/2 भाग में 1/4 हिस्सा है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के पश्चात उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर पुराने पारिवारिक बंटवाड़े को निरस्त करने हुए विधिसम्मत निर्णय निर्णय एवं डिक्री पारित की है। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2023 के आदेश के जरिये निर्णय में हुई टंकणीय त्रुटि को सुधारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। अपीलांट्स द्वारा बावजूद जानकारी हस्तगत अपील विलंब से पेश की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

रेस्पोडेंट संख्या34,36,37,38,47 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी के पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेकर्डेड खातेदार है, जिन्होंने ने धोकलाराम के परिवार से वादग्रस्त आराजी खरीद की है। उक्त रेस्पोडेंट्स के पक्ष में निष्पादित बेचाननामों को निरस्त करवाये बिना उनके खातेदारी अधिकारों पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में अपीलांट्स के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज है, किंतु अपीलांट्स की बहस/उनके पक्ष का अंकन अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में नहीं है। लिहाजा अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में अपीलांट्स द्वारा किये गये कथनों पर विश्वास जाहिर करते हुए मामले का तकनीकी आधार के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अपीलांट्स का कथन है कि उन्हें विचारण न्यायालय मे विचाराधीन वाद की उन्हें कोई जानकारी नही थी तथा न ही उनके द्वारा किसी अधिवक्ता को मुकर्रर किया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अधिवक्ता श्री रामकिशन द्वारा अपीलांट संख्या एक व तीन की ओर से दिनांक 11.12.2017 को वकालतनामा पेश किया गया तथा अपीलांट संख्या दो की ओर से अण्डरटेकिंग दी गई। तत्पश्चात अधिवक्ता द्वारा अपीलांट्स की ओर से न तो जवाब प्रस्तुत किया गया तथा न ही उनकी ओर से पैरवी किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा किये गये कथन सद्भाविक एवं विश्वास योग्य पाये जाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मामले के गुणावगुण अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 358, 359, 360 एवं 361 ग्राम खारा (ई.एक्स.पी.–20 से ई. एक्स.पी.–23) के मुताबिक उक्त नामांतरकरण आपसी रजामंदी मुजब बंटवाड़ा जरिये लिखत 3/– रूपये पेपर दिनांक 27.10.1975 की पालना में भरे गये है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त आपसी रजाबंदी के बंटवाड़े को उभय पक्ष द्वारा दौराने बहस नहीं नकारा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्व. जसवंताराम द्वारा अपने जीवन काल में उक्त आपसी रजाबंदी की लिखत के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरणों को चुनौती नहीं दी है।

विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत हस्तगत मामले में तनकीयात कायम किये बिना, विधिनुसार पक्षकारान् से साक्ष्य लिये बिना, तथा मामले को तनकीवार विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 81/2017 अनवान केली देवी व अन्य बनाम चैनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 दिसंबर 2022, संशोधित डिक्री दिनांक 05 जनवरी 2023 निरस्त किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए वाद एवं जवाब के आधार पर मामले में तनकीयात कायम कर उस पर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मामले का तनकीवार विधिसम्मत पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर